न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 98/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामकरण पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर।		नायब तहसीलदार डेह, तहसील जायल। जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल गोदारा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 06.03.20

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 76/2014 सरकार बनाम रामकरण में निर्णय दिनांक 28.10.2014 के तहत मौजा सुरपालिया के खसरा नं. 211 गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.03.15 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 07.04.2015 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसील डेह के प्रकरण सं. 76/14 सरकार बनाम रामकरण के फर्द अहकाम दिनांक 13.10.14 से 28.10.14 तक की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु पर बताया कि पटवारी ने मौके पर आकर बेदखली करने का कहा तब नकले लेने पर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.3.15 को होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। जो जानकारी की तिथी से अंदर मियाद मानी जावे। राजकीय अधिवक्ता द्वारा मियाद के बिन्दु पर विरोध नही किया गया है। अतः नरम रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, बिना सही जांच किये, नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी ने गांव की राजनैतिक पार्टीबाजी से सरासर झूठी रिपोर्ट की है व अपीलांट की कोई तामील नही करवायी गयी। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट पर नोटिस लेने से इंकार करने व एक फर्द आबाद मकान पर चस्पा करने का अंकन है तथा जो दो व्यक्ति मौतबिर बताये है। उनके भी पूरे नाम पते फर्द पर अंकन नही है, स्पष्ट है कि न तो तामील कुनिन्दा कभी मौके पर आया न अपीलांट को उक्त मामले की जानकारी थी। न अपीलांट ने नोटिस लेने से इंकार किया न ही कोई नोटिस चस्पा किया। बिना किसी प्रकार की विधिवत जांच करवाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये, पटवारी की सरासर मिथ्या रिपोर्ट व तामील कुनिन्दा की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्व निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

{2}(III)–अपीलांट का उक्त बाडा पीढियो पुराना है। मौके पर उक्त भूमि गोचर नही है, आस पास काफी बाडे व रहवासी जायगा है। अपीलांट के पिता, दादा के वक्त से बाडा है। जिसमे अपीलांट ने लाखो रू. खर्च करके विकास कार्य किया है। अपने पशुधन रखता है, अपने पशुओ का चारा फूस डालता है व निवास आदि के काम मे भी लिया जाता है। इसके अलावा इस प्रयोजनार्थ अन्य कोई जायगा उसके पास नही है। समय समय पर जारी राजकीय परिपत्रो के अनुसार उक्त बाडा नियमन योग्य था व है। लेकिन गांव की राजनेतिक पार्टीबाजी की वजह से अन्य पडौसी किसी भी व्यक्ति के विरूद्व ऐसी रिपोर्ट नही कर एक

अपर कलक्टर, नागौर

मात्र अपीलांट के विरूद्व पटवारी से रिपोर्ट करवा कर उसकी पीठ पीछे ऐसा निर्णय पारित करवाया है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर नही मिला न ही पटवारी से जिरह का अवसर मिला न नायब तहसीलदार स्वयं अपने स्तर पर जांच की। यदि अपने स्तर पर जांच करते या मौका निरीक्षण करते तो पूरी वस्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती। मगर ऐसा नही कर मात्र पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी व वाकियाति त्रुटि की है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील मे अपीलांट को उपस्थित होना बताया है। जबकि अपीलांट के न तो उपस्थिति के हस्ताक्षर/अं.नि. है। न कभी उपस्थित हुआ। न कोई जवाब दिया। यदि उपस्थित होता तो जवाब पेश करता व साक्ष्य सबूत पेश किये जाते, इसके बावजूद भी उपस्थिति बताकर जल्दबाजी मे मात्र दूसरी पेशी पर ही निर्णय पारित किया है। जो गैर कानूनी है। इतना जल्दी बिना विधिवत सुनवाई किये निर्णय करने की कोई अर्जेन्सी नही होते हुए भी आनन फानन मे निर्णय पारित किया है। जिससे भी निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा सुरपालिया में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके सुरपालिया के खसरा नंबर 211 गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार की भूमियो का आंवटन/नियमन प्रतिबंधित भी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर